फार्म का मूल्य रू0 1000/-

सेवा में,

सचिव
उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
लखनऊ।

महोदय,

आपके द्वारा प्रकाशित निविदा के क्रम में मुझे परिषद की शर्ते स्वीकार हैं। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **खाने एवं नाश्ते** की सूची के अनुसार दरें प्रेषित की जा रही हैं। इसके साथ में रू0 20,000/- (रूपया बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट नं0.... ....दिनॉक ....धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

फर्म का नाम...
व पता ....
मोबाइल नं0...

खाने से सम्बन्धित निविदा शर्तें

1. फर्म का नाम व पता :
2. पैन नं0:
3. जी0एस0टी0 नं0 :
4. निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक फर्म को धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20,000/– (रूपया बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के नाम देय होगा।
5. फर्म का प्रतिवर्ष न्यूनतम रू0 25 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है एवं गत दो वर्षो के आयकर क्लीयरेंस के प्रमाण की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. संलग्न निविदा फार्म पूरी तरह भरा होना चाहिए और इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
7. यदि जी0एस0टी0 देय है तो उसका उल्लेख करें।
8. किसी सरकारी विभाग द्वारा फर्म को अच्छे कार्य किये जाने का यदि कोई प्रशंसा–पत्र मिले हों तो उसकी छाया प्रति संलग्न करें। प्रशंसा–पत्रों के आधार पर फर्म को वरीयता दी जा सकती है।
9. फर्म द्वारा किसी प्रकार के सरकारी वी.आई.पी. लंच व्यवस्था की गयी हो तो उसका उल्लेख एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. कार्य अनुभव के रूप में किसी भी तीन सरकारी संस्थानों में बफे कैटरिंग के तीन आदेश एवं लंच पैक्ड आपूर्ति के तीन आदेशों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदा भरने वाली फर्म का लखनऊ में रेस्टोरेन्ट होना अनिवार्य है।
12. अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

13. निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी दशा में वापस नही होगा।

14. कोई भी अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार परिषद के महानिदेशक को होगा।

15. बिना धरोहर धनराशि के प्राप्त हुई निविदाएं मान्य नहीं होगी।

16. रेट की वैधता न्यूनतम एक वर्ष तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की सहमति पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

17. निविदा दिनॉक 12–11–2024 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे खोली जायेगी।

18. जिन फर्मो की तकनीकी बिड स्वीकार नही होगी, उस फर्म की फाइनेन्शियल बिड बिना खोले वापस कर दी जायेगी।

19. परिषद में समय–समय पर होने वाली बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 40 से 50 होने पर भी फर्म को परिषद में बफे लंच की व्यवस्था करना होगा।

20. परिषद में आयोजित किसी भी प्रोग्राम में प्रयोग की जाने वाली सभी क्राकरी बोन चायना मेक होगी।

21. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर परिषद एवं फर्म के मध्य अनुबन्ध करना होगा, जिसका व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

22. धरोहर धनराशि रू0 20,000/– टेंण्डर/अनुबंध अवधि तक परिषद में जमा रहेगी। यदि कार्य में कोई कमी होती है तो परिषद द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जोयगी।

23. परिषद के आदेशानुसार न्यूनतम 5 वर्किंग लंच पैक्ड की भी आपूर्ति करनी होगी।

24. परिषद का वर्तमान कार्यालय अतिशीघ्र ही परिषद के नवीन भवन आनन्द नगर, आलमबाग, निकट राजकीय उद्यान, लखनऊ में शिफ्ट हो रहा है। कार्यालय शिफ्ट होने पर नये कार्यालय भवन में आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त देय नही होगा।